HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI

THROUGH SPECIAL MESSENGER/E-MAIL

No. 68-80 /Rules/DHC/2022 Dated : 14.02.2022

From

The Registrar General,
High Court of Delhi,
New Delhi.

To

1. The Principal District & Sessions Judge (HQ), Tis Hazari Courts, Delhi.
2. The Principal District & Sessions Judge, North-West District, Rohini Courts, Delhi.
3. The Principal District & Sessions Judge, South District, Saket Courts, New Delhi.
4. The Principal District & Sessions Judge, South-West District, Dwarka Courts, New Delhi.
5. The Principal District & Sessions Judge, North District, Rohini Courts, Delhi.
6. The Principal District & Sessions Judge, South-East District, Saket Courts, New Delhi.
7. The Principal District & Sessions Judge, East District, Karkardooma Courts, Delhi.
8. The Principal District & Sessions Judge,New Delhi District, Patiala House Courts, New Delhi.
9. The Principal District & Sessions Judge, Shahdara District, Karkardooma Courts, Delhi.
10. The Principal District & Sessions Judge, North-East District, Karkardooma Courts, Delhi.
11. The Principal District & Sessions Judge, West District, Tis Hazari Courts, Delhi
12. The Principal District & Sessions Judge-cum-Special Judge, CBI (PC Act), Rouse Avenue District Court Complex, New Delhi
13. The Principal Judge, Family Courts (HQ), Dwarka Courts Complex, Dwarka, New Delhi

Sub: Amendments in Delhi Judicial Service Rules, 1970

Sir/Madam,

I am directed to forward herewith copy of Notification No.F.6/15/2021-Judl./Suptlaw/358-362 dated 09.02.2022 and Corrigendum No. F.6/15/2021-Judl./Suptlaw/382-388 dated 11.02.2022 on the subject cited above, for information and necessary action.

Yours sincerely,

Encl : As above

(Deepak Garg)
OSD (Rules)
For Registrar General

Endst. No._____/Rules/DHC/2022 Dated _____

Forwarded for information and necessary action to:-

1. The Member Secretary, Delhi State Legal Services Authority, Pre-fab Building, Patiala House Courts, New Delhi
2. The Director (Administration), Delhi Judicial Academy, Integrated Complex for Delhi Judicial Academy and National Law Univ., Sector 14, Dwarka, New Delhi – 110078
3. The Joint Registrar (Gaz.-I & II), Delhi High Court, New Delhi.
4. The OSD (Examination), Delhi High Court, New Delhi.
5. The Joint Registrar (Vigilance), Delhi High Court, New Delhi.

Sd/-

Assistant Registrar (Judicial)

OFFICE OF PRINCIPAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE (HQs) : DELHI

No. 9847 – 9947 /Rules/Gaz/2022 Dated 18 FEB 2022

Sub:-Amendments in Delhi Judicial Service Rules, 1970.

Copy forwarded for information & necessary action to:-

1) All the Judicial Officer (Central) Tis Hazari Courts, Delhi.
2) The Website Committee (Hindi & English) Tis Hazari Courts, Delhi.
3) The R&I Branch (Central) for uploading on LAYERS.

18/02/22

(ANKUR JAIN)
Additional District & Sessions Judge
Officer In-charge, Judicial Branch (Central)
For Principal District & Sessions Judge (HQs)

	2. मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशगण । 3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव। 4. प्रशासक द्वारा मनोनीत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कोई सचिव। उच्च न्यायालय के महानिबंधक समिति के पदेन सचिव होंगे ।	2. मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशगण। 3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव। 4. प्रशासक द्वारा मनोनीत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कोई सचिव। बशर्ते कि चयन समिति की किसी भी बैठक के लिए कोरम चार सदस्यों का होगा। उच्च न्यायालय के महानिबंधक समिति के पदेन सचिव होंगे ।
13	प्रारंभिक भर्ती के बाद भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी । जो पद रिक्ति के अध्यधीन वर्ष में दो बार वरीयता स्वरूप, उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली में परीक्षा ली जाएँगी। प्रशासक को ऐसी परीक्षा की तिथियों एवं स्थान के बारे में अवगत कराया जाएगा ।	प्रारंभिक भर्ती के बाद भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी जिसमें मुख्य परीक्षा (लिखित) हेतु चयन के लिए आरंभिक वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा, मुख्य परीक्षा (लिखित) एवं साक्षात्कार /मौखिक साक्षात्कार शामिल होंगे। पद रिक्ति के अध्यधीन, वर्ष में एक बार वरीयता स्वरूप, उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली में परीक्षा ली जाएँगी। प्रशासक को ऐसी परीक्षा की तिथियों एवं स्थान के बारे में अवगत कराया जाएगा ।
14	14.कोई अभ्यर्थी परीक्षा देने योग्य होगा, यदि वह (क) भारत का नागरिक हो; (ख) व्यक्ति भारत में अधिवक्ता के रूप में वकालत कर रहा हो अथवा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अधिवक्ता के रूप में लिए जाने की अर्हता रखता हो; एवं (ग) परीक्षा के आरम्भ होने की तिथि से 1 जनवरी को उसकी आयु 32 वर्ष से अधिक न हो।	14.कोई अभ्यर्थी परीक्षा देने योग्य होगा, यदि वह (क) भारत का नागरिक हो; (ख) व्यक्ति भारत में अधिवक्ता के रूप में वकालत कर रहा हो अथवा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अधिवक्ता के रूप में लिए जाने की अर्हता रखता हो; एवं (ग) जिस वर्ष में नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाएँ उस वर्ष की 1 जनवरी को उसकी आयु 32 वर्ष से अधिक न हो।
15	परीक्षा का पाठ्य और देय शुल्क का विवरण इन नियमों के अनुलग्नक के रूप में विस्तृत रूप से बताया गया है ।	परीक्षा का पाठ्य–विवरण एवं परीक्षा निर्वहन को नियंत्रित करने वाली योजना वैसी ही होगी जो इन नियमों के अनुलग्नक के रूप में विस्तृत रूप से बताई गई है।
18	(i) इन नियमों के अनुसार ली गई प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयन समिति योग्यता के अनुक्रम में अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगी। ऐसी सूची प्रशासक को प्रेषित की जाएगी। (ii) उच्च न्यायालय से विमर्श कर प्रशासक योग्यता के अनुक्रम में ऊपर आने वालों में से मूल, पदीय अथवा अस्थाई रिक्तियों के प्रति नियुक्ति करेंगे।	(i) इन नियमों के अनुसार ली गई प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयन समिति योग्यता के अनुक्रम में अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगी। ऐसी सूची प्रशासक को प्रेषित की जाएगी। (ii) उच्च न्यायालय से विमर्श कर प्रशासक योग्यता के अनुक्रम में ऊपर आने वालों में से मूल, पदीय अथवा अस्थाई रिक्तियों के प्रति नियुक्ति करेंगे। (iii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति विज्ञप्ति जारी किए जाने की तिथि से एक महीने की अवधि के भीतर समस्त चयनित अभ्यर्थीगण सेवा में शामिल होंगे। (iv) पर्याप्त कारणवश सक्षम प्राधिकारी अर्थात उच्च न्यायालय सम्बंधित अभ्यर्थी के लिखित आवेदन पर सेवा में शामिल होने हेतु उपरोक्त एक माह की अवधि को बढ़ा सकता है। ऐसा विस्तारण, यदि प्रदानित हो, केवल दो महीनों की अवधि के लिए होगा। उच्च न्यायालय द्वारा इस अवधि से अधिक शामिल होने की अवधि का विस्तारण केवल अति विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकता है परन्तु किसी भी स्थिति में ऐसा विस्तारण नियुक्ति की विज्ञप्ति जारी किए जाने की तिथि से छह महीनों से ज्यादा अवधि के लिए प्रदान नहीं किया जायेगा।

प्रारंभिक परीक्षा में उन अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक जो मुख्य परीक्षा (लिखित) के लिए चयनित हुए हों उनकी योग्यता के अंतिम अनुक्रम को निर्धारित करने के लिए नहीं गिने जाएँगे।

मुख्य परीक्षा (लिखित) में निम्न विषय शामिल होंगे (प्रत्येक विषय अपने सम्मुख दिए गए अंक का होगा):–

विषय

क्र.सं.	विषय	अधिकतम अंक
1.	सामान्य ज्ञान एवं भाषा	250
2.	सिविल लॉ I	200
3.	सिविल लॉ II	200
4	क्रिमिनल लॉ	200
5	साक्षात्कार	150

1. सामान्य ज्ञान एवं भाषा

इस प्रश्न पत्र के दो भाग होंगे:–

भाग I : सामान्य ज्ञान : यह अभ्यर्थी के वर्तमान या तत्काल मामलों, आदि के ज्ञान की जांच के लिए है (100 अंक)।

भाग II : भाषा (अनुबंध, अनुवाद एवं सार लेख): यह अभ्यर्थी की अंग्रेजी भाषा में अभिव्यक्ति की क्षमता एवं ज्ञान की जाँच के लिए है । मूल एवं अभिव्यक्ति दोनों के लिए श्रेय दिया जाएगा । इसके विपरीततः खराब अभिव्यक्ति, व्याकरण दोष और शब्दों के दुरुपयोग आदि के लिए अंकों की कटौती की जाएगी। अनुवाद के लिए दो अंश होंगे, एक अंग्रेजी भाषा में जिसका हिंदी भाषा में अनुवाद करना होगा (देवनागरी लिपि में) और दूसरा अंश हिंदी भाषा में (देवनागरी लिपि में) जिसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना होगा।

(150 अंक)

2) सिविल लॉ – I

भारतीय संविदा अधिनियम, भारतीय माल विक्रय अधिनियम, भारतीय भागीदारी अधिनियम, विशिष्ट राहत अधिनियम, हिंदू कानून, मोहम्मडन लॉ, दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, अपकृत्य विधि, (200 अंक)

प्राप्त अंक के समान अंक प्राप्त करें तो मुख्य परीक्षा (लिखित) के लिए छांटे गए अंतिम अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक के समान अंक प्राप्त करने वाले ऐसे समस्त अभ्यर्थी(गण) मुख्य परीक्षा (लिखित) के लिए छांटे जाएँगे इस तथ्य की उपेक्षा करते हुए कि ऐसे अभ्यर्थी(गण) को शामिल करने पर मुख्य परीक्षा (लिखित) के लिए छांटे गए अभ्यर्थियों की संख्या प्रत्येक श्रेणी में रिक्त पदों की विज्ञापन में दी गई संख्या के विनिर्दिष्ट दस गुणा की सीमा से अधिक ही क्यों न हो जाए।

3. प्रारंभिक परीक्षा में उन अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक जो मुख्य परीक्षा (लिखित) के लिए चयनित हुए हों उनकी योग्यता के अंतिम अनुक्रम को निर्धारित करने के लिए नहीं गिने जाएँगे।

ख. मुख्य परीक्षा (लिखित)

मुख्य परीक्षा (लिखित) में निम्न विषय शामिल होंगे (प्रत्येक विषय अपने सम्मुख दिए गए अंक का होगा):–

क्र.सं.	विषय	अधिकतम अंक
1.	सामान्य विधिक ज्ञान एवं भाषा	250
2.	सिविल लॉ I	200
3.	सिविल लॉ II	200
4	क्रिमिनल लॉ	200

1. सामान्य विधिक ज्ञान एवं भाषा

इस प्रश्न पत्र के दो भाग होंगे:–

भाग I : सामान्य विधिक ज्ञान : यह अभ्यर्थी के वर्तमान या तत्काल विधिक मामलों, आदि के ज्ञान की जांच के लिए है (100 अंक)।

भाग II : भाषा (अनुबंध, अनुवाद एवं सारलेख): यह अभ्यर्थी की अंग्रेजी भाषा में अभिव्यक्ति की क्षमता एवं ज्ञान की जाँच के लिए है । मूल एवं अभिव्यक्ति दोनों के लिए श्रेय दिया जाएगा । इसके विपरीततः खराब अभिव्यक्ति, व्याकरण दोष और शब्दों के दुरुपयोग आदि के लिए अंकों की कटौती की जाएगी। अनुवाद के लिए दो अंश होंगे, एक अंग्रेजी भाषा में जिसका हिंदी भाषा में अनुवाद करना होगा (देवनागरी लिपि में) और दूसरा अंश हिंदी भाषा में (देवनागरी लिपि में) जिसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना होगा।

(150 अंक)

2) सिविल लॉ – I

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872, भारतीय माल विक्रय अधिनियम, 1930, संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882, विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963, हिंदू कानून, मोहम्मडन लॉ, दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958, अपकृत्य विधि, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994, नई दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 एवं वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015

(200 अंक)

		किसी भी अन्य अधिनियम (नों) कानून (नों) को शामिल कर सकता है।
		2. अभ्यर्थियों से समय–समय पर उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट शुल्क लिया जा सकत है ।
	टीप :–	3. प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा (लिखित) सम्बंधित उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा। उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और इसे अभ्यर्थियों को बिना किसी सूचना दिए खारिज किया जा सकता है ।
	1. मौखिक साक्षात्कार में प्राप्त अंको को मुख्य परीक्षा (लिखित) में प्राप्त अंकों के साथ जोड़ा जायेगा और अभ्यर्थी की स्थिति दोनों के कुल प्राप्त अंको पर निर्भर होगी ।	4. परीक्षा के किसी भी स्तर पर अंकों को पूर्णांकित करने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी स्तर पर अंकों को पूर्णांकित करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और इसे अभ्यर्थियों को बिना किसी सूचना दिए खारिज किया जा सकता है।
	2.अभ्यर्थियों से समय–समय पर उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट शुल्क लिया जा सकता है ।	5. परीक्षा के किसी भी स्तर पर, यानी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा (लिखित), या मौखिक साक्षात्कार में परीक्षा के परिणाम को प्रभावित करने या प्रभावित करने का प्रयास हेतु किसी भी प्रकृति के अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाए जाने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता को बिना किसी सूचना के सरसरी तौर पर खारिज कर दी जायेगी। इसके अलावा, ऐसे अभ्यर्थी को भविष्य में होने वाली परीक्षा से उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित ऐसी अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा जो सामान्यतः तीन वर्ष से कम नहीं होगी।
		6. अंतिम परिणाम की घोषणा के एक वर्ष बाद दिल्ली न्यायिक सेवा हेतु प्रत्येक भर्ती परीक्षा से सम्बंधित ओएमआर उत्तर पत्र को सम्मिल्लित करते हुए प्रारंभिक परीक्षा से सम्बंधित समस्त परीक्षा सामग्री, मुख्य परीक्षा (लिखित) के उत्तर पत्र, मौखिक साक्षात्कार, आदि के अंक पत्र नष्ट कर दिए जाएँगे। तथापि, यदि किसी परीक्षा से सम्बंधित कोई वाद किसी न्यायालय में लंबित हो और मुकद्दमा में सम्मिल्लित प्रश्न/मुद्दा अभ्यर्थी(गण) के उत्तर पत्र अर्थात कुल संख्या, मूल्यांकन, पुनः मूल्यांकन, आदि से सम्बंधित हो तो उपरोक्त निर्णय की शर्तों में नष्टीकरण के प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व रजिस्ट्री ऐसे उत्तर पत्रों को सुरक्षित रखेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल
के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर,

संजय कुमार अग्रवाल, प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 9th February, 2022

No. F. 6/15/2021-Judl./Suptlaw/358-362.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No.F.1/2/70/DH(S) dated the 29th May, 1970 as amended by Notification No.F.1/2/70-DH(S) dated the 25th July, 1970 and all other powers enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of NCT of Delhi in consultation with the High Court of Delhi is pleased to make the following rules further to amend the Delhi Judicial Service Rules, 1970, namely : -

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Delhi Judicial Service (Amendment) Rules, 2022.

	and their solutions covering Constitution of India, Code of Civil Procedure, Code of Criminal Procedure, Indian Penal Code, Contract Act, Partnership Act, Principles governing Arbitration Law, Evidence Act, Specific Relief Act, and Limitation Act will be included.	flair in English, knowledge of objective type legal problems and their solutions covering The Constitution of India; The Code of Civil Procedure, 1908; The Code of Criminal Procedure, 1973; The Indian Penal Code; The Indian Contract Act, 1872;**The Limited Liability Partnership Act, 2008;The Arbitration and Conciliation Act, 1996;**The Indian Evidence Act, 1872; The Specific Relief Act, 1963; The Limitation Act, 1963;**The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 and The Commercial Courts Act, 2015** will be included.
	Minimum qualifying marks in the preliminary examination shall be 60% for general and 55% for reserved categories i.e. Scheduled Castes, Scheduled Tribes and [Persons with Disability]. However, the number of candidates to be admitted to the main examination (written) will not be more than ten times the total number of vacancies of each category advertised.	2. Minimum qualifying marks in the preliminary examination shall be 60% for general category and 55% for reserved categories, i.e., Scheduled Castes, Scheduled Tribes and **eligible categories of Persons with Disabilities as specified for this Service.** However, the number of candidates to be admitted to the Mains Examination (Written) will not be more than ten times the total number of vacancies of each category advertised. **Provided that in case a candidate(s) secures marks equal to the marks secured by the last candidate shortlisted for Mains Examination (Written), then all such candidate(s) who have secured marks equal to the marks secured by the last candidate shortlisted for Mains Examination (Written), shall also be shortlisted for the Mains Examination (Written) irrespective of the fact that by including such candidate(s), the number of candidates shortlisted for Mains Examination (Written) exceeds the prescribed limit of ten times the number of vacancies in each category advertised.**
	The marks obtained in the preliminary examination by the candidates who are declared qualified for admission to the Main Examination (Written) will not be counted for determining their final order of merit.	3. The marks obtained in the preliminary examination by the candidates who are declared qualified for admission to the Mains Examination (Written) will not be counted for determining their final order of merit.
	The Main Examination (Written) will include the following subjects (each subject to carry the number of marks shown against it):- **SUBJECTS :**	**B. Mains Examination (Written)** The **Mains** Examination (Written) will include the following subjects (each subject to carry the number of marks shown against it):
	SI.No. / Subjects / Max. Marks 1 / General Knowledge & Language / 250 2 / Civil Law I / 200 3 / Civil Law II / 200 4 / Criminal Law / 200 5 / Viva-Voce / 150	Sl. No. / Subjects / Max. Marks 1 / General **Legal** Knowledge& Language / 250 2 / Civil Law I / 200 3 / Civil Law II / 200 4 / Criminal Law / 200
	I) GENERAL KNOWLEDGE AND LANGUAGE This paper shall comprise of two Sections:-	1. GENERAL **LEGAL** KNOWLEDGE AND LANGUAGE This paper shall comprise of two Sections:-

	Section I : General Knowledge:- This is to test the candidate's knowledge of current affairs etc. (100 Marks) Section II: **Language (Essay, Translation and Precis Writing):-**This is to test the candidate's knowledge and power of expression in English. Credit will be given both for substance and expression. Conversely deduction will be made for bad expression, faults of grammar and misuse of words etc. There will be two passages for translations one in English which will be required to be translated into Hindi (in Devnagri Script) and the second passage in Hindi (in Devnagri Script) shall be required to be translated into English. **(150 Marks)** 2) Civil Law-I Indian Contract Act, Indian Sale of Goods Act, Indian Partnership Act, Specific Relief Act, Hindu Law, Mohammaden Law, Delhi Rent Control Act and Law of Torts. (200 Marks) 3) Civil Law-II Civil Procedure Code, Law of Evidence, Law of Limitation and Law of Registration. (200 Marks) 4) Criminal Law Criminal Procedure Code, Indian Penal Code and Indian Evidence Act. (200 Marks)	Section I : General Legal Knowledge:- This is to test the candidate's knowledge of current legal affairs etc. **(100 Marks).** **Section II: Language (Essay, Translation and Precis Writing):-**This is to test the candidate's knowledge and power of expression in English. Credit will be given both for substance and expression. Conversely deduction will be made for bad expression, faults of grammar and misuse of words etc. There will be two passages for translations one in English which will be required to be translated into Hindi (in Devnagri Script) and the second passage in Hindi (in Devnagri Script) shall be required to be translated into English. **(150 Marks)** 2. Civil Law-I The Indian Contract Act, 1872; The Sale of Goods Act, 1930; **The Transfer of Property Act, 1882;** The Specific Relief Act, 1963; Hindu Law; Mohammaden Law; The Delhi Rent Control Act, 1958; Law of Torts; **The New Delhi Municipal Council Act, 1994; The Delhi Municipal Corporation Act, 1957 and The Commercial Courts Act, 2015.** **(200 Marks)** 3) Civil Law-II The Code of Civil Procedure, 1908; The Indian Evidence Act, 1872; The Limitation Act, 1963; The Registration Act, 1908; **The Arbitration and Conciliation Act, 1996; The Trade Marks Act, 1999 and The Copyright Act, 1957.(200 Marks)** 4) Criminal Law The Code of Criminal Procedure, 1973; The Indian Penal Code; The Indian Evidence Act, 1872; **The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005; The Negotiable Instruments Act, 1881; The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015. (200 Marks)**
	5) Viva-Voce Viva-Voce will carry 150 marks. Only such candidates will be called for viva voce who have obtained 40% marks in each written paper and 50% marks in the aggregate except in the case of candidates belonging to reserved categories, i.e., Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Persons with Disability in whose case the qualifying marks shall be 35% in each written paper and 45% in the aggregate.	C. VIVA VOCE 1. Viva-Voce will carry 150 marks. **Candidates of general category must secure minimum 40% marks in each written paper and 50% marks in the aggregate and candidates of reserved categories, i.e., Scheduled Castes, Scheduled Tribes and eligible categories of Persons with Disabilities as specified for this Service must secure minimum 35% marks in each written paper and 45% marks in the aggregate in Mains Examination (Written) to**

		shall be summarily rejected without any further notice to the candidates. Moreover, such candidate shall be debarred from the future Examination for such a period as may be decided by the High Court, which shall ordinarily be not less than three years. 6. All Examination material including OMR answer sheets relating to Preliminary Examination, answer sheets of Mains Examination (Written), award sheets of viva voce, etc. in relation to each recruitment examination for Delhi Judicial Service will be destroyed one year after the declaration of the final result. However, if any litigation pertaining to any examination is pending before any Court, and the question / issue involved in the /is touches upon the answer sheets of the candidate (s) i.e. totaling, evaluation, re-evaluation, etc., the Registry shall preserve such answer sheets before initiating the process of destruction in terms of the above decision.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

SANJAY KUMAR AGGARWAL, Principal Secy. (Law, Justice & L.A.)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.02.09 22:59:11 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-12022022-233361
SG-DL-E-12022022-233361

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 81] दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 11, 2022/माघ 22, 1943 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 434
No. 81] DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 11, 2022/MAGHA 22, 1943 [N. C. T. D. No. 434

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

शुद्धिपत्र

दिल्ली, 11 फरवरी, 2022

सं0फां0 6/15/2021–न्याय/अधिविधी/382–388.—दिल्ली न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 के संशोधन से संबंधित इस विभाग की दिनांक 9 फरवरी, 2022 की अधिसूचना सं0 6/50/2019–विधा0/अधि0वि0/358–362 के अंग्रेजी मूलपाठ में,

(क) नियम 7 के परन्तुक में "provided that the quorum for any meeting of the Selection Committee" शब्दों को **"provided that the quorum for any meeting of the Selection Committee shall be four Members"** के रूप में पढ़ा जाये ।

(ख) परिशिष्ट के भाग 6 सामान्य की क्रम सं0 6 में " .....issue involved in शब्दों के पश्चात '/is' शब्द को **'lis'** पढ़ा जाये ।

उपरोक्त नियमावली की अन्य विषयवस्तु यथावत रहेंगी।

संजय कुमार अग्रवाल, प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

962 DG/2022